राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कुशलपुरा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत कुशलपुरा

प्रकरण सं. – 49/2010 रेवा

निर्णय दिनाक – 04.06.2015

अनवान

1. श्रीमती मानी देवी पुत्री श्री खीमसिंह पत्नी श्री शेरसिंह रावत जाति रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
2. श्री गैन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
3. श्री राम सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
4. श्रीमती हंजा देवी पत्नी श्री तेज सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
5. श्रीमती लक्ष्मी देवी विधवा श्री भूर सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
6. श्री गणपत सिंह पुत्र श्री भूर सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
7. श्री पूरण सिंह पुत्र श्री भूर सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
8. श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री भूर सिंह रावत निवासी फेवडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,54,88,89 व 188 आरटीए

भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी जमाबन्दी संवत 2032 के अनुसार आराजी सं. 6601 नामी नेडी रकबा 2 बिस्वा, आराजी सं. 6602 नामी रोडवा रकबा 15 बिस्वा, आराजी सं. 7323 नामी बीड रकबा 5 बिस्वा, आराजी सं 14279 नामी बडाखेत रकबा 10 बिस्वा, 10 बिस्वांसी, आराजी सं.14280 नामी बडाखेत रकबा 8 बिस्वा, आराजी सं. 14283 नामी उरिया रकबा 11 बिस्वा, आराजी सं. 14284 नामी उरिया रकबा 9 बिस्वा, आराजी सं 14834 नामी चौहदा रकबा 7.5 बिस्वा, आराजी सं. 14836 नामी चौहदा रकबा 6.5 बिस्वा एवं आराजी सं 14965 नामी चौहदा रकबा 11.5 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 4 बीघा, 6 बिस्वा के खातेदार श्री खीमा, उजा पिता पीथा रावत साकिन फेवडी होकर उक्त आराजियात का उपयोग एवं उपभोग दोनों भाई मौके अपने हिस्सों के अनुसार संयुक्त रूप से कर रहे थे। दिनांक 4.10.1977 को खातेदार श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री पीथा सिंह ने उक्त आराजियात में से आराजी सं. 14279 नामी बडाखेत रकबा 10.5 बिस्वा, आराजी सं 14280 नामी बडाखेत रकबा 8 बिस्वा. आराजी सं. 14283 नामी उरिया रकबा 11 बिस्वा एवं आराजी सं 14284 नामी उरिया रकबा 9 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी का आधा भाग यानि रकबा 19 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि जरिए पंजीकृत बयनामे के श्री गणेशमल पुत्र श्री हजारीमल जी महाजन निवासी बरार को बय कर उक्त आराजियात के आधे भाग का कब्जा दे दिया एवं उक्त आराजियात का बचा हुआ आधा भाग श्री खीमा पिता पीथा सिंह रावत के कब्जे एवं काश्त में रहा जिसका वह निरंतर उपयोग एवं उपभोग करता रहा। गणेशमल पुत्र हजारी मल महाजन ने खरीदी हुई आराजियात हिम्मत सिह, भूरसिंह, गैनसिंह, रामसिंह, पिता श्री भगवान सिंह व श्रीमती हंजा पत्नी तेजसिंह रावत निवासी बरार को दिनांक 11.8.1980 को जरिये पंजीकृत बयनामे के बय कर दिया। वैसा ही हिम्मत सिंह को कब्जा करवा दिया। प्रतिवादीगण उक्त आराजियात के आधे भाग पर काबिज जो उसका उपभोग एवं उपयोग कर रहे है। उक्त कालान्तर अवधि में श्री खीमसिंह पिता पीथा सिह की मृत्यु हो गई एवं उक्त आराजियात अन्य आराजियात के साथ–साथ श्रीमती मानी पुत्री खीमसिंह, फेफी देवी पत्नी खीमसिंह के नाम दर्ज हो गई।जिसका उपभोग मानी देवी व फेफी देवी निरन्तर करते आ रहे है। श्रीमती मानीदेवी पुत्री खीमसिह वादीया श्री खीमसिंह पुत्र पीथासिंह की जमीनों का उपयोग ग्राम पंचायत कुशलपुरा में कर रही है। वादीया को पता लगा कि खसरा नं. 14279,14280,14283,14284 कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी पूरी की पूरी जमीन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। खीमसिंह का हिस्सा राजस्व कर्मियों की गलती से छोड दिया गया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा श्रीमती हंजा देवी विधवा तेजसिंह हिम्मत सिंह, गैन सिह, भूरसिंह, रामसिंह पिता भगवान सिह नामान्तरण सं. 1716 द्वारा उक्त आराजियात के पूरे भाग का नामान्तरण खुलवा दिया गया। ग्राम पंचायत बरार द्वारा नामान्तरण सं. 1715 श्री गणेशमल पिता हजारीमल के पक्ष में खोल दिया गया। उसमें विकय की गई आराजियात के आधे भाग पर नामान्तरण नही खोल कर सभी चारों आराजियात का नामान्तरण खोलकर गलती की गई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प कुशलपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामे से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम आठोलिया पटवार मंडल कुशलपुरा के आराजी खसरा न 14279 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसीह नामी बडाखेत आराजी खसरा नं. 14283 नामी उरिया रकबा 11

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner

बिस्वा आराजी नं. 14284 नामी उरिया रकबा 9 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी मे से 1/2 हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। उक्त आराजियात के संबंध में अर्जुनसिंह पिता पीथासिंह द्वारा गणेशमल पिता हजारीमल के पक्ष में कराये गए पंजीकृत बयनामे के आधार पर खोले गए नामान्तरण सं. 1715 श्री गणेशमल द्वारा श्री हिम्मतसिंह, श्री गैनसिंह, श्री भूरसिंह, रामसिंह पिता भगवानसिंह एवं श्रीमती हंजा देवी पत्नी तेजसिंह के पक्ष में कराये गए पंजीकृत बयनामे के आधार पर दिनांक 10.12.1985 को खोले गए नामान्तरण सं. 1716 निरस्त किया जाता है। उक्त नये नामान्तरण के आधार पर खोले गए नामान्तरण एवं कालान्तर वादीया की माता श्रीमती फेफी से उसके नाम खोले गए नामान्तरण के अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड में आराजी खसरा नं. 14279,14280,14283,14824 में वादीया का 1/2 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 04.06.2015 को कैम्प कुशलपुरा में लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी / कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner